



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 753 राँची, मंगलवार

28 अग्रहायण, 1945 (श०)

19 दिसम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

10 नवम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-19/2023-24944 (HRMS)--1. श्री परमेश्वर कुशवाहा, झांझार (द्वितीय सीमित बैच, कोटि क्रमांक-437/20) अंचल अधिकारी, मधुपुर के विरुद्ध उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-194, दिनांक 08.02.2023 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

(i) श्री परमेश्वर कुशवाहा, देवघर जिला के अंचल मधुपुर में अंचल अधिकारी, मधुपुर के पद पर रहते हुए W.P.(C) No. 2625/2013 आनन्द कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम झारखण्ड, राँची द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-4309/रा०, दिनांक 17.12.2021 एवं पत्रांक-52/रा०, दिनांक 11.01.2022 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में 90 दिनों से अधिक समय से लंबित म्यूटेशन के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक-2375/रा०, दिनांक 27.12.2021 के आलोक में अंचल अधिकारी, मधुपुर का ज्ञापांक-49/रा०, दिनांक 17.01.2022 द्वारा प्रतिवेदित लंबित म्यूटेशन मामले की समीक्षोपरांत इस कार्यालय के पत्रांक-34/रा०, दिनांक 17.01.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन सरकार के अपर सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को अग्रसारित किया गया ।

उक्त जाँच प्रतिवेदन के विरुद्ध सरकार के उप सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1535/रा०, दिनांक 12.05.2022 एवं पत्रांक- 2251/रा०, दिनांक 06.07.2022 द्वारा प्राप्त निदेश W.P.(C) No. 2625/2013 आनन्द कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक 20.04.2022 को झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेश में 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मधुपुर अंचल से संबंधित लंबित 1 (एक) मामले के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में इस कार्यालय का पत्रांक-628/रा०, दिनांक 18.05.2022 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण पर अंचल अधिकारी, मधुपुर के पत्रांक-439/रा०, दिनांक 27.05.2022 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री परमेश्वर कुशवाहा, अंचल अधिकारी, मधुपुर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं पूर्व में प्रेषित जिला स्तरीय जाँच प्रतिवेदन में भिन्नता है। अतएव उनके स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता के उजागर होने के फलस्वरूप गठित आरोप पत्र अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

(ii) श्री कुशवाहा अंचल अधिकारी, मधुपुर के द्वारा मधुपुर अंचल से संबंधित 90 दिनों से अधिक समय से लंबित एक दाखिल खारिज मामले निष्पादन हेतु लंबित रखा गया।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1561, दिनांक 15.03.2023 द्वारा श्री कुशवाहा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुशवाहा के पत्रांक-327, दिनांक 17.04.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुशवाहा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत उनके विरुद्ध निन्दन का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-3534, दिनांक 21.06.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है। श्री कुशवाहा के पत्रांक-671, दिनांक 28.08.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया है। श्री कुशवाहा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा निम्नवत् है-

(i) प्रश्नगत मामला वर्ष 2022-23 का है।

(ii) ऑनलाइन लगान भुगतान की व्यवस्था के बाद वर्ष 2016-17 से ऑफलाइन दाखिल खारिज एवं ऑफलाइन लगान वसूली की व्यवस्था पूर्ण रूप से बंद है। सभी अंचलों में ऑनलाइन लगान भुगतान की व्यवस्था लागू है। ग्राम प्रधान एवं मूल रैयत वाले क्षेत्रों में उनके परंपरागत महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूर्व की तरह ऑफलाइन लगान वसूली हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, देवघर के पत्रांक-2098, दिनांक 12.11.2021 एवं विभागीय संकल्प संख्या 1857 दिनांक 29.07.2020 द्वारा पुनः प्राधिकृत किया गया है। उक्त आलोक में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, देवघर के आदेश संख्या 883 दिनांक 28.07.2022 द्वारा आवंटित लगान रसीद को दिनांक 02.08.2022 तक जिला नजारत कार्यालय से प्राप्त कर लेने के उपरांत उप आवंटित प्रधानी मूल रैयत लगान रसीद प्राप्त कर अंचल कार्यालय स्तर पर पंजी संधारण करते हुए कार्यरत ग्राम प्रधान मूल रैयत को आपूर्ति किया गया तथा उनके द्वारा ऑफलाइन वसूली की गई राशि को ऑनलाइन अद्यतन कराया जाता है ताकि दिए गए लगान भुगतान को ऑनलाइन किया जा सके। अंचल कार्यालय का ग्राम प्रधान एवं मूल रैयती मौजा का लगान लगभग पांच वर्षों से बाधित रहा। इस प्रकार पांच वर्षों का मांग बकाया बढ़ते जुड़ते चला गया।

मधुपुर अंचल का वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल लगान वसूली 154128.03 मात्र था। पदभार ग्रहण करने के उपरान्त यह लगान वसूली वित्तीय वर्ष 2021-22 में 160% बढ़कर लगान वसूली

400773.45 रु० वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर कुल लगान 809511.08 रुपये भू लगान वसूली की गई। बीते वर्ष 2022-23 में पूरे जिला का लगान वसूली का 46.62% मधुपुर अंचल का सन्निहित है। इससे स्पष्ट है कि अंचल कार्यालय का राजस्व से संबंधित मुख्य कार्य लगान वसूली में केवल इनके द्वारा जिला का लगभग आधा लगान वसूली किया गया।

(iii) ऑनलाइन लैंड डिमार्केशन से संबंधित मामले कुल 27 मामले लंबित थे। वर्तमान में एक भी लंबित नहीं है।

(iv) माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय में दायरवादों का निष्पादन अनुपालन से संबंधित कुल 11 मामले लंबित थे। वर्तमान में एक भी लंबित नहीं है।

3. श्री कुशवहा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित है कि देवघर जिला में पूर्व की तरह ऑफलाइन लगान वसूली हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, देवघर के पत्रांक-2098, दिनांक 12.11.2021 एवं विभागीय संकल्प संख्या-1857 दिनांक 29.07.2020 द्वारा पुनः ग्राम प्रधान को प्राधिकृत किया गया है।

मधुपुर अंचल का वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल लगान वसूली 154128.03 मात्र था। पदभार ग्रहण करने के उपरान्त यह लगान वसूली वित्तीय वर्ष 2021-22 में 160% बढ़कर लगान वसूली 400773.45 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर कुल लगान 809511.08 रुपये भू-लगान वसूली की गई। बीते वर्ष 2022-23 में पूरे जिला का लगान वसूली का 46.62% मधुपुर अंचल का सन्निहित है। इससे स्पष्ट है कि अंचल कार्यालय का राजस्व से संबंधित मुख्य कार्य लगान वसूली में केवल इनके द्वारा जिला का लगभग आधा लगान वसूली किया गया।

ऑनलाइन लैंड डिमार्केशन के लंबित 27 मामले तथा दाखिल खारिज एवं माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय में लंबित 11 मामले के विरुद्ध वर्तमान में एक भी मामला लंबित नहीं रहना प्रतिवेदित किया गया है।

स्पष्ट है कि उनके द्वारा आरोप पत्र के गठन के समय प्रतिवेदित उक्त लंबित मामले से इंकार न कर वर्तमान अवधि में लंबित शून्य के संबंध प्रतिवेदित किया गया है।

उप सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-1535, दिनांक 12.05.2022 एवं पत्रांक-2251, दिनांक 06.07.2022 अनुसार W.P.(C) No. 2625/2013 आनंद कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक 20.04.2022 को झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेश में 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मधुपुर अंचल से संबंधित लंबित 01 मामले के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का निदेश प्राप्त है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री परमेश्वर कुशवाहा, अंचल अधिकारी, मधुपुर द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री परमेश्वर कुशवाहा, झां०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PERMESHWAR KUSHWAHA JHK/JAS/214	श्री परमेश्वर कुशवाहा, अंचल अधिकारी, मधुपुर द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
